संख्या-28//2391/12-2-2014-बजट.4/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2014

विषय- नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस कैम्प 265/सी-32/फ0बी0/2014-15 दिनांक 29 अगस्त, 2014 तथा 2293/12-2-2014-बजट.4/2009 दिनांक 06 अगस्त, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस-04-फसल बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि0 को प्रीमियम का भुगतान-27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 95.00 करोड (रूपये पंचानबे करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 6.00 करोड (रूपये छः करोड मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रस्तावित योजनाओं में अधिसूचित फसलों में ओवरलैपिंग की स्थिति किसी भी दशा में नहीं होगी।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही आहरित की जायेगी।

(3) वित्तीय स्वीकृत जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड-बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का निस्तारण मांग पर नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(6) इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(7) बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान की जाने वाली धनराशि का आंकलन अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(8) योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची मय पता विभाग की वेबसाइट में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-110-फसल बीमा-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस-04-फसल बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि0 को प्रीमियम का भुगतान-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या- 559/दस-2014 दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या-28/2391 (1)/12-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/आय-व्ययक अनुभाग-2/कृषि अनुभाग-5/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in